सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 40 राँची, बुधवार

6 दिसंबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	593- 623
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-23/2014-24462(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री वीर प्रकाश प्रसाद, सेवानिवृत, कोटि क्रमांक- 643/03 (गृह जिला- नालंदा, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Current Department**	**Current Office** **Current Designation**	**Joining Date in Service**	**Date of Service Confirmation**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	BIR PRAKASH PRASAD- (BHR/BAS/2940)	FOREIGN SERVICE	GAIL Office ,RANCHI Competent Authority	01/06/1992	10/08/2011

2. श्री प्रसाद के सेवा संपुष्टि के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 4032 दिनांक 01.05.2015 द्वारा उनके विरुद्ध अधिरोपित तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा प्रोन्नति की देय तिथि से अगले दो साल तक उनकी प्रोन्नति अवरुद्ध करने का दण्ड प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023

संख्या-14/विविध-09/2023-5497--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4987, दिनांक-18.09.2019** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारी का **कंडिका सुधार संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-281, दिनांक-13.06.2023** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राँची जिला के निम्न चिन्हित आन्दोलनकारी की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आन्दोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र0	**नाम एवं पता**	**संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत पूर्व का वर्गीकरण**	**कंडिका संशोधन करने का आधार**	**संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्त्तमान का वर्गीकरण**
1	श्री जोनसन खलखो पिता- स्व० प्रमोद खलखो ग्राम - लोअर पी०पी० कम्पाउन्ड, पोस्ट - हिन्दपीढ़ी थाना - हिन्दपीढ़ी जिला - राँची।	अधिसूचना सं०-4987, दि०-18.09.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक-03	चुटिया थाना कांड संख्या-207/87 के दौरान पुलिस द्वारा सिर पर लाठी चार्ज के कारण मानसिक विकलांगता 60ः (साठ प्रतिशत)	**कण्डिका-2 (v)** (चिन्हित आंदोलनकारी श्री जोनसन खलखो के ज्येष्ट पुत्र श्री शैलेश दीप खलखो आश्रित के रूप में नामित)

4. उक्त के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारी/आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सुविधा का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2023

संख्या-12/पी5-1004/2023-5517--झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के श्री प्रवीण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मु0-2), राँची की सेवा दिनांक-05.04.2016 की तिथि से सम्पुष्ट की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023

पत्र संख्या-06/पेंशन(अ०लो०अभि०)-06/2023-6636--

प्रेषक,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची ।

विषयः- **श्री राम विनय राय, सेवानिवृत अपर लोक अभियोजक, रामगढ़ का पेंशन-सह-उपादान की स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **श्री राम विनय राय,** सेवानिवृत अपर लोक अभियोजक, **रामगढ़** दिनांक-31.07.2023 को सेवानिवृत हो चुके है। श्री राय को पेंशन-सह-उपदान एवं 40 प्रतिशत पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। इनका पेंशन प्रपत्र निम्न कागजातों के साथ Offline उपलब्ध करायी जाती हैः-

1. पेंशन प्रपत्र की दो प्रति।
2. भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र ।
3. मोटर कार अग्रिम के विरूद्ध मांग रहित प्रमाण पत्र ।
4. गृह निमार्ण अग्रिम के विरूद्ध मांग रहित प्रमाण पत्र ।
5. विवाह एवं विविध अग्रिम के विरूद्ध मांग रहित प्रमाण पत्र ।
6. कार्यालय मांग रहित प्रमाण पत्र ।
7. LPC एवं अभिप्रमाणित फोटो ।

श्री **राय** का पेंशन प्रपत्र सभी कागजात सहित Upload किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इनके पेंशन कागजातों की जाँच कर पेंशन/उपदान का प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन ।

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2023

संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5434/ श्री कुमार चन्द्रशेखर, काराधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग (गृह जिला-पलामू) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक **काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5435/श्री अजय कुमार प्रजापति, काराधीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा** (गृह जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़) को अगले आदेश तक **काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5436/श्री भगीरथ कार्जी, प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग** (गृह जिला- राँची) को **काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

4. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5437/श्री जितेन्द्र कुमार, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू** (गृह जिला-मधुबनी, बिहार) को **काराधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार इसके साथ ही अपने कार्यों के अतिरिक्त **आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा, हजारीबाग** के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे।

5. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5438/श्रीमती हिमानी प्रिया, काराधीक्षक, मंडल कारा, सरायकेला** (गृह जिला-देवघर) को **काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

6. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5439/श्री बेसरा निशांत रॉबर्ट, काराधीक्षक, उपकारा, खूँटी** (गृह जिला-साहेबगंज) को **काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

7. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5440/श्री सत्येन्द्र चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका** (गृह जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार) को **काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, देवघर** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

8. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5441/श्री सुनील कुमार, काराधीक्षक, मंडल कारा, गुमला** (गृह जिला-लोहरदगा) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

9. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5442/श्री अनिमेष कुमार चौधरी, काराधीक्षक, मंडल कारा, चास** (गृह जिला-पटना, बिहार) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, गुमला** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

10. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5443/श्री मेनसन बरवा, काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार** (गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

11. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5444/श्री प्रभात कुमार, परीक्ष्यमान काराधीक्षक** (गृह जिला-राँची) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

12. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5445/श्री अरून्भ, परीक्ष्यमान काराधीक्षक** (गृह जिला-राँची) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, चास** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री अरूनभ इसके साथ ही अपने कार्यों के अतिरिक्त **उपकारा, तेनुघाट** के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे।

13. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5446/श्री राजमोहन राजन, काराधीक्षक, उपकारा, बरही** (गृह जिला-पलामू) अपने कार्यों के अतिरिक्त **मंडल कारा, कोडरमा** के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

14. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5447/श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर** (गृह जिला-छपरा, बिहार) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, गढ़वा** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

15. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5448/ श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सुमन, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, देवघर** (गृह जिला-चतरा) को **काराधीक्षक, मंडल कारा, साहेबगंज** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री सुमन इसके साथ ही अपने कार्यों के अतिरिक्त **मंडल कारा, पाकुड़** के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे।

16. **संख्या-11/स्था०राज०-34/2017- 5449/श्री हामिद अख्तर, काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची** (गृह जिला-राँची) को **सहायक कारा महानिरीक्षक-II कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची** के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2023

संख्या-16/नि०-02/2016-5454/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भः-

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2023 "** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017) की कंडिका-14 क (IV) में निम्नांकित प्रावधान हैः-

" लिखित परीक्षा में अभ्यथियों के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के अनुरूप निर्धारित होगा।''

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में किये गये प्रावधान के अनुरूप होगा।''

3. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017) की कंडिका-11 में शारीरिक मापदण्ड के संबंध में किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को भी जोड़ा जाता है, यह प्रावधान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-5362, दिनांक-04.09.2019 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाता हैः-

"शारीरिक माप अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊँचाई की माप चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा तथा इसके निर्णय के विरूद्ध । **Apex Medical Board** के समक्ष अपील किया जा सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।''

4. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017) की कंडिका-14 (ख)(i) में किये गये प्रावधान को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"14 (ख)(i) सर्वप्रथम आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी की शारीरिक माप/दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा तत्पश्चात् चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा इस हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सूची चयन पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसमें घटनाक्रम का बॉक्स बना रहेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण के दौरान अपने प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।

चयन पर्षद प्रत्येक जिला में प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन केन्द्र एवं तिथि पर शारीरिक माप/जाँचएवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा तथा शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं संबंधित से समन्वय कर किया जायेगा। शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में तिथि एवं चयन केन्द्र की सूचना सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी की जा सकेगी।

चयन पर्षद द्वारा शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को लिखित परीक्षा हेतु प्रदान की जायेगी तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची भी आयोग को दी जायेगी, जिसे आयोग द्वारा संबंधित के सूचना हेतु वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा सकेगा।

शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा देने हेतु मान्य होंगे।"

5. झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017) की कंडिका-14 (ग) में किये गये प्रावधान में अंकित " लिखित परीक्षा" शब्द को विलोपित किया जाता है ।

6. अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

7. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप तिग्गा,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2023

संख्या-16/नि०-02/2016-5453/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड पुलिस रेडियो (दूरसंचार) अधीनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्त्ती, प्रोन्नति और संवर्ग नियमावली, 1989 (एस०ओ०-798, दिनांक-06.07.1989 (यथा अंगीकृत) यथासंशोधित द्वारा संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 एवं अधिसूचना संख्या-3453, दिनांक-14.06.2016) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भः-

(1) यह नियमावली **"झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2023"** कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली से संबंधित संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 (यथा संशोधित द्वारा अधिसूचना संख्या-3453, दिनांक-14.06.2016) के कंडिका-(vii) में निम्नांकित प्रावधान हैः-

" लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के अनुरूप होगा।"

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

" परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10$2 स्तर) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में किये गये प्रावधान के अनुरूप होगा।"

3. झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली से संबंधित संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 की कंडिका-(i) शारीरिक माप के संबंध में किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को भी जोडा जाता है, यह प्रावधान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-5362, दिनांक-04.09.2019 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाता हैः-

" शारीरिक माप अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊँचाई की माप चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा तथा इसके निर्णय के विरूद्ध Apex Medical Board के समक्ष अपील किया जा सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।"

4. झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली से संबंधित अधिसूचना संख्या-3453, दिनांक-14.06.2016 की कंडिका-02 में निम्न प्रावधान किया गया है-

"सर्वप्रथम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के पश्चात् पुलिस रेडियो ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 की कंडिका-(ii) एवं (iii) के तहत शारीरिक जाँच परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार ही शारीरिक जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।"

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

" सर्वप्रथम आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी की शारीरिक माप/जाँच परीक्षा संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 की कंडिका-(ii) एवं (iii) के तहत आयोजित की जाएगी तथा इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण अधिसूचना संख्या-3796, दिनांक-12.07.2017 की कंडिका-04 एवं अधिसूचना संख्या-1317, दिनांक-06.03.2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। इस हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सूची चयन पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसमें घटनाक्रम का बॉक्स बना रहेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण के दौरान अपने प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।

चयन पर्षद प्रत्येक जिला में प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन केन्द्र एवं तिथि पर शारीरिक माप/जाँच एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा तथा शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं संबंधित से समन्वय कर किया जायेगा। शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में तिथि एवं चयन केन्द्र की सूचना सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी की जा सकेगी।

चयन पर्षद द्वारा शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षण में चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को लिखित परीक्षा हेतु प्रदान की जायेगी तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची भी आयोग को दी जायेगी, जिसे आयोग द्वारा संबंधित के सूचना हेतु वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा सकेगा।

शारीरिक माप/जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा देने हेतु मान्य होंगे''

5. झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली से संबंधित संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 (यथासंशोधित द्वारा अधिसूचना संख्या-3453, दिनांक-14.06.2016) की कंडिका-(अपपप) के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

6. एस०ओ०-798, दिनांक-06.07.1989 (यथा अंगीकृत) ,संकल्प संख्या-4899, दिनांक-09.08.2010 एवं अधिसूचना संख्या-3453, दिनांक-14.06.2016 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

7. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप तिग्गा,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023

सं0-08/विविध (01)-27/2022-6638/ युद्धाभ्यास फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938(The Manoeuvres field Firing and Artillery Practice Act, 1938) (1938 का एक्ट 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, के॰रि॰पु॰ बल तिरिल, धुर्वा परिसर में निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों के अंतर्गत शॉट (मिनिएचर) फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगामी 10 (दस) वर्षों तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया जाता है।

उपायुक्त, राँची के कार्यालय में भूमि नक्शा का निरीक्षण किया जा सकता है।

<u>अनुसूची</u>

शॉट (मिनिएचर) फायरिंग रेंज, तिरिल, धुर्वा, राँची के स्थल की विवरणी:-

क्र0 सं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (डिसमील में)	भूमि का प्रकार
1.	लावेद	233-नगड़ी	09	135/पी॰	7.06	-
2.				137/पी॰	22.60	
					कुल-29.66 डिसमील	

अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-03 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

29th November, 2023.

08/Vividh (01)-17/2023-6638/ In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of The **Manoeuvres Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act 5 of 1938),** The Governor of Jharkhand is pleased to notify the Short (Miniature) Field Ranges in the area of Central Training College, CRPF, Tiril, Dhurwa, Ranchi, which is described in the following schedule for the period of 10 (Ten) years from the date of the said notification issued.

The land plan can be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ranchi.

Schedule

Details of the area of Short field firing range, Ranchi (Kanke)

S.No.	**Mauja**	**P.S.No.**	**Khata No.**	**Plot No.**	**Area (in Dismil)**	**Type of Land**
1	Labed	233-Nagri	09	135/P	7.06	-
				137/P	22.60	
					Total 29.66 Dismil	

By Order of Governor of Jharkhand

Avinash Kumar,

Add. Chief Secretary to Government

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023

संख्या-08/विविध(01)-23/2023/6640/ केन्द्र सरकार की परियोजना आई.सी.जे.एस. 2.0 (Inter Operable Criminal Justice System) के लिए प्राधिकृतकेन्द्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश तदनुरूप पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 99/एस.पी0एम0यू, सी0सी0टी0एन0एस0, दिनांक-03.10.2023 के माध्यम से समर्पित प्रस्ताव के आलोक में राज्य में आई.सी.जे.एस. 2.0 परियोजना के प्रभावशाली अनुश्रवण एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्न दो समितियों-**1.**राज्य शीर्ष समिति (State Apex Committee) **2.**राज्य प्राधिकृत समिति (State Empowered Committee) का निम्न रूपेण गठन करते हुए उसके कार्य-दायित्वों का निर्धारण किया जाता है-

1. राज्य शीर्ष समिति (State Apex Committee)

1. मुख्य सचिव-	**अध्यक्ष**
2. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग-	सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/, वित्त विभाग-	सदस्य
4. प्रधान सचिव/ सचिव, सूचना प्रौद्यगिकी विभाग-	सदस्य
5. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक-	सदस्य
6. अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण-	सदस्य
7. एन.सी.आर.बी., नई दिल्ली के प्रतिनिधि-	सदस्य
8. कारा महानिरीक्षक/नोडल पदाधिकारी, e-Prison-	सदस्य
9. **पुलिस महानिरीक्षक,मुख्यालय सह नोडल पदाधिकारी, आई.सी.जे.एस.-**	**सदस्य सचिव**
10. पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन-	सदस्य
11. नोडल पदाधिकारी, (CCTNS) -	सदस्य
12. निदेशक, अभियोजन निदेशालय-	सदस्य
13. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला-	सदस्य
14. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी.-	सदस्य
15. स्टेट को-आर्डिनेटर, NIC- ICJS-	सदस्य
16. विशेष आमंत्रित पदाधिकारी-	

Terms of reference as per Office Memorandum - F.No. 1/52/2022-ICJS (WS-IV), Dated - 16.08.2023 of Ministry of Home Affairs, Government of India -

a. Appoint a Nodal Officer for each pillar of ICJS in State /UT

b. Review the progress of the Project in their respective State/UT

c. Oversight of the fund utilization

d. Approval of proposals relating to the Project

e. Policy directions and guidance for successful execution of the Project in in the State/UT and ensure tenure/term till the completion of the development phase of the project.

f. Create a supportive environment for the success of the Project .

g. Appointing any other members as per the state specific requirements .

h. Co-opt members of the existing State Apex Committee, if required .

i. Committee should meet to review the progress on a quarterly basis

2. राज्य प्राधिकृत समिति (State Empowered Committee)

1. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक-	**अध्यक्ष**
2. अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण-	सदस्य
3. अपराध अनुसंधान विभाग के प्रमुख-	सदस्य
4. गृह विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि-	सदस्य
5. वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि-	सदस्य
6. सूचना एवं प्रौद्यगिकी विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि -	सदस्य
7. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय सह नोडल पदाधिकारी, आई.सी.जे.एस.-	**सदस्य सचिव**
8. पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन-	सदस्य
9. नोडल पदाधिकारी, सी.सी.टी.एन.एस.-	सदस्य
10. नोडल पदाधिकारी, e- Prosecution-	सदस्य
11. नोडल पदाधिकारी, e- Prison-	सदस्य
12. नोडल पदाधिकारी, e- Forensic-	सदस्य
13. स्टेट को-आर्डिनेटर NIC- ICJS, झारखण्ड-	सदस्य
14. विशेष आमंत्रित पदाधिकारी-	

Terms of reference as per Office Memorandum - F.No. 1/52/2022-ICJS (WS-IV), Dated - 16.08.2023 of Ministry of Home Affairs, Government of India -

- **a.** Appoint representative officers for all individual pillars (Police,Forensic, Prosecution & Prisons) .
- **b.** Review the progress of the implementation of the ICJS project periodically.
- **c.** Identify and propose new business processes and/or components for the consideration of the ICJS project.
- **d.** Approval for various projects components, as may be specified, including the hardware/software procurement as per the specifications.
- **e.** Ensure proper training arrangements - selection of Master Trainers and Trainers for the State/UT.
- **f.** Other important policy and procedural issues.
- **g.** Appointing any other members as per the State specific requirements.
- **h.** Co-opt members of the existing State Empowered Committee, if required.
- **i.** Committee should meet to review the progress on a monthly basis .

3. Pillar Nodal officer

SEC/SAC प्रत्येक Pillars (Police, Prison, Presecution, Forensic Lab) के लिए एक-एक नोडल पदाधिकारी प्राधिकृत करेगी-

Terms of reference as per Office Memorandum - F.No. 1/52/2022-ICJS (WS-IV), Dated - 16.08.2023 of Ministry of Home Affairs, Government of India -

- **a.** Prepare and submit State Action Plan as per the template provided by the MHA.
- **b.** Implement/roll out products and deliverables developed and deployed under ICJS project in State/UT.
- **c.** Inform Projects of demands and requirements in Police, Forensics, Prosecution offices and Prisons in terms of Hardware, Network Connectivity, Number of users and other data as needed for smooth implementation of the Project in the State/UT
- **d.** Execute all project procurements in compliance with Guidelines, SOPs, announced by Central Nodal Agency and GFR 2017.
- **e.** Ensure installations of all components at respective office locations in a timely manner
- **f.** Committee should meet to review the progress on a fortnightly basis.

4. इस अधिसूचना के निर्गत होने के तिथि से सी.सी.टी.एन.एस./आई.सी.जे.एस. परियोजना के लिए पूर्व में निर्गत गृह विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या क्रमशः 4718, दिनांक- 03.12.2009 एवं 4517, दिनांक 20.08.2019 द्वारा गठित राज्य शीर्ष समिति (SAC) एवं राज्य प्राधिकृत समिति (SEC) निष्प्रभावी हो जाऐगी। आई.सी.जे.एस/सी.सी.टी.एन.एस. से संबंधत सभी विषयों पर उक्त नवगठित राज्य शीर्ष समिति (SAC) एवं राज्य प्राधिकृत समिति (SEC) द्वारा हीं आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा।

5. यह अधिकसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

झारखंड के राज्यपाल के आदेश से

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2023

संख्या-12/सी०-1001/2020-5647/राज्य के लोहरदगा जिलान्तर्गत विधि व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों एवं अन्य कई तरह की समस्याओं के नियंत्रण हेतु किस्को पुलिस अनुमण्डल सृजन किया जाता है। किस्को पुलिस अनुमण्डल के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले थाना क्रमशः (1) किस्को थाना (2) बगड़ु थाना (3) जोबांग थाना (4) पेशरार थाना एवं (5) सेरेंगदाग थाना होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MAMTA BAA अन्य नाम SISTER REGINA ROSE MC पिता TARCIUS BAA, शपथ पत्र सं० 12575, दिनांक 23 अगस्त, 2023 के अनुसार MAMTA BAA के नाम से जानी जाऊँगी ।

MAMTA BAA एवं SISTER REGINA ROSE MC दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BHUKUMUNDA PAHAN TOLI,
P.O. - TARGA,
P.S. - BANSJOR,
DIST. - SIMDEGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BANDHAN TOPPO अन्य नाम GEORGE B. TOPPO पिता BHOSA TOPPO, शपथ पत्र सं० 1243, दिनांक 23 अगस्त, 2023 के अनुसार BANDHAN TOPPO के नाम से जाना जाऊँगा ।

BANDHAN TOPPO एवं GEORGE B. TOPPO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QTR. NO. - 2180, SECTOR - 4/A,
STREET - 4,
P.O. & P.S. - SECTOR - 4,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NAYAN SHARMA अन्य नाम VIRENDRA KUMAR SHARMA पिता CHATTU SHARMA, शपथ पत्र सं० 7299, दिनांक 24 अगस्त, 2023 के अनुसार NAYAN SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा ।

NAYAN SHARMA एवं VIRENDRA KUMAR SHARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KORIYANA,
P.S. - BASANTARAI SUBDIVISION,
DIST. - GODDA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ASHA KUMARI अन्य नाम ASHA MANDAL पति SRI SANDEEP KUMAR MANDAL, शपथ पत्र सं० 1800, दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार ASHA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

ASHA KUMARI एवं ASHA MANDAL दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - C/O MONISHA KUMARI, F.NO. -102,
BALAJI ENCLAVE HANSMARG KANKE,
OPPOSITE RELIANCE SMART,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, TEJAN DEVI अन्य नाम PHULMANI DEVI पति Late BUDHWA NAYAK, शपथ पत्र सं० 27, दिनांक 24 अगस्त, 2023 के अनुसार TEJAN DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

TEJAN DEVI एवं PHULMANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - 82. NAYAK TOLI, CHUTIA,
P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PUNIA DEVI अन्य नाम SITA DEVI पति RABINDRA NATH MAHATO, शपथ पत्र सं० 15360, दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार PUNIA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

PUNIA DEVI एवं SITA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - DUNGRI DHAR,
VILL. - DHOKHARA,
P.O. - DAMODARPUR,
P.S. - DHANSAR,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRABHAKAR CHOURSIA अन्य नाम BHISMA PRABHAKAR पिता RAMDHYAN PRASAD BHAGAT, शपथ पत्र सं० 131, दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार PRABHAKAR CHOURSIA के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRABHAKAR CHOURSIA एवं BHISMA PRABHAKAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QR. NO. - 151/2/4, ROAD NO. - 32,
ADITYAPUR - 2, ADITYAPUR,
DIST. - SERAIKELLA - KHARSWAN,
PIN - 831013
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUCHAND MAHTO अन्य नाम S. MAHTO पिता Late LAKHAN MAHTO, शपथ पत्र सं० 228, दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के अनुसार SUCHAND MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

SUCHAND MAHTO एवं S. MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - 19, BUTI,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835217
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AKSHAY SWANSI अन्य नाम SANJAY MUNDA पिता BUCHA SWANSI, शपथ पत्र सं० 106, दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के अनुसार AKSHAY SWANSI के नाम से जाना जाऊँगा ।

AKSHAY SWANSI एवं SANJAY MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - DOKAD,
P.S. - SONAHATU,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHARWA ORAON अन्य नाम CHARRANDEV URANV पिता PACHU ORAON, शपथ पत्र सं० 7629/23, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुसार CHARWA ORAON के नाम से जाना जाऊँगा ।

CHARWA ORAON एवं CHARRANDEV URANV दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - PHORI,
P.O. - PHORI,
P.S. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JAYA DHAN अन्य नाम JAYA ORAON पिता Late DHUCHU ORAON, शपथ पत्र सं० 206, दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के अनुसार JAYA DHAN के नाम से जाना जाऊँगा ।

JAYA DHAN एवं JAYA ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - EKKAGURI,
P.O. - BIJULIYA,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NISHA DEVI अन्य नाम MEENA DEVI पति JAI NARAYAN PRASAD, शपथ पत्र सं० 236, दिनांक 28 अगस्त, 2023 के अनुसार NISHA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

NISHA DEVI एवं MEENA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HARI NAGAR, TATISILWAY,
P.O. & P.S. - TATISILWAY,
SILWAI, RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RANI KUMARI अन्य नाम KIRAN KUMARI पिता NANDU RAM, शपथ पत्र सं० 103, दिनांक 2 सितम्बर, 2023 के अनुसार RANI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

RANI KUMARI एवं KIRAN KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - TALASBARIYA,
P.O. - MANJHIAON,
P.S. - MANJHIAON,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RUTH KUJUR अन्य नाम KALAWATI DEVI पति SUKHRAM ORAON, शपथ पत्र सं० 1954, दिनांक 9 सितम्बर, 2023 के अनुसार RUTH KUJUR के नाम से जानी जाऊँगी ।

RUTH KUJUR एवं KALAWATI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - GHAGHRA,
NETARHAT ROAD,
P.S. - GHAGHRA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BHARTI MEHTA अन्य नाम SUNITA KUMARI एवं SUNITA DEVI पति SRI SACHCHIDANAND MAHTO, शपथ पत्र सं० 78, दिनांक 19 अगस्त, 2023 के अनुसार BHARTI MEHTA के नाम से जानी जाऊँगी ।

BHARTI MEHTA, SUNITA KUMARI एवं SUNITA DEVI तीनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - 21A,
VILL - SUTILONG,
P.O. - BURHADIH,
P.S. - BUNDU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835204
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BINAYAK SADASHIV MISHRA अन्य नाम BINAY KUMAR पिता SRI RABINDRA NATH MISHRA, शपथ पत्र सं० 2692, दिनांक 28 जुलाई, 2023 के अनुसार BINAYAK SADASHIV MISHRA के नाम से जाना जाऊँगा ।

BINAYAK SADASHIV MISHRA एवं BINAY KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - MUHALLA - SARVODAY NAGAR,
DAM SIDE, KANKE ROAD,
P.O. - RANCHI UNIVERSITY,
P.S. - KANKE,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MARIA GORETTY अन्य नाम GORETI LAKRA पति Late GYAN PRAKASH LAKRA, शपथ पत्र सं० 130, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के अनुसार MARIA GORETTY के नाम से जानी जाऊँगी ।

MARIA GORETTY एवं GORETI LAKRA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - JANAWAL,
P.S. - CHAINPUR,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835206
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHILPA KUMARI अन्य नाम RIYA RAJU GUPTA पिता DHANUSHDHARI MUNDA, शपथ पत्र सं० 48, दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 के अनुसार SHILPA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

SHILPA KUMARI एवं RIYA RAJU GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HANSDON,
P.S. - PALKOT,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KAMLI DEVI अन्य नाम DEVAKI DEVI पति SRI KALI GOPE, शपथ पत्र सं० 136, दिनांक 24 अगस्त, 2023 के अनुसार KAMLI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

KAMLI DEVI एवं DEVAKI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - GAURIA KARMA,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PURAN SAW अन्य नाम HULASH SAW पिता SRI NANHU SAW, शपथ पत्र सं० 08, दिनांक 8 सितम्बर, 2023 के अनुसार PURAN SAW के नाम से जाना जाऊँगा ।

PURAN SAW एवं HULASH SAW दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SURATPUR,
P.O. - NARCHAI,
P.S. - ITKHORI,
DIST. - CHATRA,
PIN - 825406
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GHUNI GANJHU अन्य नाम DHUNI GANJHU पिता JAGARNATH GANJHU एवं पति Late JAGDEO GANJHU, शपथ पत्र सं० 207, दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के अनुसार GHUNI GANJHU के नाम से जानी जाऊँगी ।

GHUNI GANJHU एवं DHUNI GANJHU दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BUKBUKA, KHALARI
P.O. - KHALARI,
P.S. - KHALARI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 829205
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHAHID HUSSAIN अन्य नाम SAOL AHMAD पिता MOHAMMAD KHALIL AHMAD, शपथ पत्र सं० 0608, दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के अनुसार SHAHID HUSSAIN के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHAHID HUSSAIN एवं SAOL AHMAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - ELAHI BUX COLONY,
KOKAR KHORHATOLI,
ROAD NO. -1,
P.S. - SADAR
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KUMARI INDU, DAKSH KUMAR (अन्य नाम DIVYANK GUPTA) कि माता, शपथ पत्र सं० 268, दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र DAKSH KUMAR (जन्म तिथि - 31 मई, 2009) के नाम से जाना जायेगा ।

DAKSH KUMAR एवं DIVYANK GUPTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - NEAR DEVI MANDAP,
KUMHAR TOLI, IRGU ROAD,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BABU LAL NONIA अन्य नाम SHAKTI KUMAR CHOUHAN पिता KEDAR NATH NONIA, शपथ पत्र सं० 14, दिनांक 31 मई, 2023 के अनुसार BABU LAL NONIA के नाम से जाना जाऊँगा ।

BABU LAL NONIA एवं SHAKTI KUMAR CHOUHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SAHANA PAHARI, NEAR KALI MANDIR,
P.O. & P.S. - JHARIA,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RETNAMMA SIVARAJAN अन्य नाम RETNAMMA S. RAJAN पति D. SIVARAJAN, शपथ पत्र सं० 617, दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के अनुसार RETNAMMA SIVARAJAN के नाम से जानी जाऊँगी ।

RETNAMMA SIVARAJAN एवं RETNAMMA S. RAJAN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - QUARTER NO. - 2177, SECTOR - 4/A,
STREET - 4,
P.O. & P.S. - SECTOR - 4,
BOKARO STEEL CITY,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 40-- 50 ।